कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास, जिला कोटा (राज.)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम (26)

2020
00155

अज अदालत...मुकाम..................................

मोहन लाल ....बनाम..... जगदीश वगैरह

किस्म मुकदमा..... 251 रास्ता ....नं..........................सन्..................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुऐ
5/11/2020	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारगण उपस्थित। प्रार्थीगण उपस्थित मौका [illegible] कराने गये। निर्णय पृथक से [illegible] किया जाकर प्रा० पत्रावली किया गया। पत्रावली [illegible] अनुसार दो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ख्वाजा लगाया जावे। [signature] – उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज०)	मोहनलाल मुकटबिहारी ओमशंकर शिवराज [illegible] हीरालाल [signature] [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.18 13:36:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास कोटा

अन्तर्गत धारा 251

निर्णय दिनाक 05.11.2020

मोहनलाल बनाम सन्तराज, जगदीश वगैरह

प्रार्थीगण मोहनलाल, छीतरलाल गोपाल रामकरण एवं भरोसीबाई पत्नी प्रभुलाल निवासीगण मामोर के द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय को पेश किया कि उनके खाते के खेत ग्राम मामोर के ख.न. 283/1, 281, 284, 278, 277, 276, 275, 263, 274, 264, 265, की आराजी पर आने जाने का पुराना रास्ता है उक्त रास्ते से यह पीलाई व हकाई करते है उक्त रास्ता जगदिश आत्मज भैरूलाल व अन्य के द्वारा रोक लिया गया है प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया अप्रार्थीगण सन्तराज व जगदीश एवं अन्य पक्षकारान उपस्थित आये ख0न0 284 सहित प्रार्थीगण के अन्य ख0न0 मे पहुच हेतु ,कृषि संबंधित कार्य हेतु अप्रार्थीगणों के ख0न0 273, 290, 278, 275, 274,एवं 288 मे मेड को छोडते हुऐ दोनो तरफ से 3–3फीट रास्ता चाहते है। सभी उपस्थित पक्षकारन को समझाईश की गई। पक्षकारान द्वारा लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर रास्ते हेतु अपनी सहमति दी। ख0न0 290, 273 के खातेदार सन्तराज पुत्र धन्ना मीना निवासी मामोर द्वारा अपने खेत ख0न0 284 मे पहुच के लिए रास्ते के रूप मे से 3 फीट भूमि मेड को छोडकर देना स्वीकार किया साथ ही ख0न0 274 के खातेदार भैरूलाल आत्मज नारायण के द्वारा रास्ते के लिए 3 फीट भूमि ख0न0 274 मे से मेड को छोडकर देगे। प्रार्थीगण मोहनलाल छीतरलाल आत्मज माधोलाल, छीतरलाल आत्मज गोपाल खसरा न0 275 के खातेदार कैलाशी पुत्री भवरलाल व रामभरोस पुत्र भवरलाल अपने ख0न0 मे 3 फीट रास्ता मेड को छोडकर प्रार्थीगण को अपने खेतो पर आने जाने हेतु देगें। तथा ख0न0 288 के खातेदार पप्पू भीमराज राधेश्याम आत्मज द्वारकीलाल एवं मोहन लाल पुत्र माधोलाल 3 फीट रास्ता मेड को छोडकर देने पर अपनी सहमति दी।सभी खातेदार द्वारा ख0न 273, 274, 275, 278, 288,,एवं 290 मे दिये गये रास्ते की भूमि पर गेट का निर्माण करेगे। जिससे जानवर आदि फसल नष्ट नही करे। एवं सन्तराज के खेत पर पडे हुऐ पत्थर को सभी पक्षकार हटवायेगे। निर्णय सुनाया गया पालना हेतु तहरीर तहसीलदार कनवास की जारी पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो खारजा लगाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.18 13:36:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)